दिनांक–19.04.2022 को अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग की अध्यक्षता में आहूत आयोग कार्यालय की आंतरिक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः–

1. श्री हिमांशु शेखर चौधरी, अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।
2. श्री हलधर महतो, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।
3. डॉ0 रंजना कुमारी, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।
4. श्रीमती शबनम परवीन, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।
5. श्री संजय कुमार, सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

अध्यक्ष द्वारा उपस्थित सदस्यों के स्वागत के साथ बैठक प्रारम्भ की गई। अध्यक्ष द्वारा सदस्य सचिव को आयोग के अधिवक्ताओं के पैनल के संदर्भ में संपूर्ण स्थिति से अवगत कराने का निदेश दिया गया।

- सदस्य सचिव द्वारा बताया गया कि आयोग द्वारा झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग नियमावली–2015 के नियम–10 (viii) के अन्तर्गत कार्रवाई करने हेतु चार अधिवक्ताओं का पैनल तैयार किया गया था। पैनल के चारों अधिवक्ता राँची जिले के हैं।
- सदस्य सचिव द्वारा बताया गया कि आयोग नियम–10 (viii) के अन्तर्गत कार्रवाई के लिए जिस जिला से सम्बन्धित मामला हो, उस जिला के न्यायालय में वाद दायर कर सकता है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि आयोग द्वारा मात्र वाद दायर करने के लिए तैयार किये जाने वाले Plaint का ही शुल्क निर्धारित किया गया है। यदि आयोग स्वीकृति दे तो शेष कार्यों का शुल्क राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुरूप किया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क में एक अधिवक्ता को एक जिला से दूसरे जिले में जाने पर अतिरिक्त व्यय/खर्च वहन करना होगा।
- सदस्यों द्वारा बताया गया कि ऐसी स्थिति में उचित होगा कि प्रत्येक जिला के लिये अधिवक्ताओं का पैनल हो ताकि आयोग को अधिक व्यय का वहन न करना पड़े। यह भी सुझाव दिया गया कि प्रत्येक जिला के लिए दो–दो अधिवक्ताओं का पैनल होना उचित होगा।
- अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि न्यायिक मामलों के निष्पादन हेतु रिटेनर नियुक्त करने हेतु दिशा–निर्देश विधि विभाग द्वारा निर्गत किया गया है।
- विधि विभाग के ज्ञापांक–360 दिनांक–22.02.2022 द्वारा रिटेनर नियुक्ति हेतु दिशा–निर्देश निर्गत है। पत्र के कंडिका–2 (क) के अनुसार रिटेनर नियुक्त करने हेतु अधिवक्ताओं को नामित करने का अनुरोध विद्वान महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची से किया जाना है।

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261

(33)
(45)

- विधि विभाग के उक्त पत्र के आलोक में अध्यक्ष द्वारा निदेश दिया गया कि विद्वान महाधिवक्ता से इस संबंध में पत्राचार कर अधिवक्ताओं की सूची प्राप्त की जाए।
- सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि जब तक अधिवक्ताओं का नया पैनल तैयार नहीं होता, तब तक पूर्व के पैनल से कार्य लिया जाए एवं वाद से संबंधित जिन कार्यों का दर आयोग द्वारा निर्धारित नहीं है, उस कार्य का भुगतान राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित दर तालिका के अनुसार किया जाए।

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261